रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 270] नई दिल्ली, शुक्रवार मई 31, 1985/ज्येष्ठ 10, 1907
No. 270] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 1985/JYAISTHA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1985

का. आ. 433 (अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, निदेश देते हैं कि ऐसे किसी शक्ति या कर्तव्य का, जो आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 31) द्वारा या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किया जाता है, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा (चाहे वह उप-राज्यपाल के नाम से ज्ञात है या मुख्य आयुक्त या प्रशासक के नाम से ज्ञात है) संबंधित संघ राज्य क्षेत्र का बाबत प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा।

[फा. सं. 5/14/85-(विधिक खण्ड]
एन. पी. नवानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 1985

S.O. 433(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, subject to his control, any power or duty which by the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985) or by any rule made thereunder is conferred or imposed on the State Government shall be exercised and discharged by the Administrator of a Union territory (whether called a Lieutenant-Governor or a Chief Commissioner or, an Administrator) in relation to the Union territory concerned.

[F. No. 5|14|85-Legal Cell]
N. P. NAWANI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985